उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966[1]

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30, 1966]

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 16, 1982

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 24, 1983

द्वारा संशोधित

[उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 5 दिसम्बर, 1966 ई0 तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक 9 दिसम्बर, 1966 ई0 की बैठक में स्वीकृत किया ।

भारत का संविधान के अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत राज्यपाल ने दिनांक 30 दिसम्बर, 1966 ई0 की अनुमति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 31 दिसम्बर, 1966 ई0 को प्रकाशित हुआ ।]

उत्तर प्रदेश में कतिपय अत्यावश्यक सेवाओं के अनुरक्षण और उससे सम्बद्ध विषयों के निमित्त व्यवस्था करने के लिये

अधिनियम

भारतीय गणतंत्र के सत्रहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

छोटा नाम तथा प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 कहलाएगा ।

(2) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा ।

परिभाषायें

2–जब तक कि प्रसंग द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में ––

(क) "अत्यावश्यक सेवा" का तात्पर्य –

(1) उत्तर प्रदेश राज्य के कार्यो से सम्बद्ध किसी लोक सेवा ;

[2[(2) शिक्षा निदेशक द्वारा या माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश द्वारा मान्यता प्राप्त किसी शिक्षा संस्था के अधीन किसी सेवा या किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम द्वारा या उसके अधीन निगमित किसी विश्वविद्यालय के, जिसके अन्तर्गत किसी ऐसे विश्वविद्यालय का कोई सम्बद्ध महाविद्यालय, सहयुक्त महाविद्यालय, स्वायत्त महाविद्यालय घटक या महाविद्यालय का संस्थान भी है, अधीन सेवा]

(3)किसी स्थानीय प्राधिकारी के अधीन किसी सेवा ;

[3[(4) उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक या उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की धारा 2 के खण्ड (क–4) में उल्लिखित कोई अन्य राज्य स्तर सहकारी समिति या उक्त अधिनियम के अधीन निबंधित उसकी सदस्य सहकारी समिति से सम्बद्ध सेवा ;

---

1. उद्देश्य और कारणों के विवरण के लिए दिनांक 3 दिसम्बर, 1966 का उत्तर प्रदेश सरकारी असाधारण गजट देखिये।
2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 16, 1982 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 24, 1983 की धारा 2 द्वारा बढ़ाया गया।

(5) किसी ऐसी सरकारी कम्पनी से जिसमें कम से कम इक्यावन प्रतिशत समादत्त अंश पूंजी राज्य सरकार धारण कर रही हों, या किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम के द्वारा या अधीन स्थापित या गठित किसी राज्य सांविधिक निकाय (जिसे किसी भी नाम से पुकारा जाय) से सम्बद्ध सेवा ;

(6) ऐसे विषयों से सम्बन्ध किसी अन्य सेवा जिसके सम्बन्ध में राज्य विधान मंडल को विधि बनाने की शक्ति है, और जिसके संबंध में राज्य सरकार ऐसी राय होने पर कि उसमें हड़ताल से किसी लोकोपयोगी सेवा, लोक सुरक्षा के अनुरक्षण वा जनजीवन के लिये आवश्यक सम्भरण और सेवायें बनायें रखने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा या जिसके फलस्वरूप जनता को बड़ा कष्ट होगा, अधिसूचना द्वारा, अधिनियम के प्रयोजनों के लिये अत्यावश्यक सेवा घोषित करे।][1]

(ख) "हड़ताल" का तात्पर्य किसी अत्यावश्यक सेवा मे से सेवायोजित व्यक्तियों के समूह द्वारा मिलकर कार्य बन्द कर देने से (जिसके अन्तर्गत कार्य से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहना भी है) अथवा किन्हीं ऐसे व्यक्तियों द्वारा जो कार्य करते रहने के लिए इस प्रकार से सेवायोजित हों या किए जए हों सम्मिलित रूप से या आपसी समझौते के अन्तर्गत इंकार कर देने से है ।

कतिपय सेवायोजनों में हड़ताल निषिद्ध करने का अधिकार

3–(1) यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाए कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक या इष्टकर है तो वह, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, आदेश में उल्लिखित किसी भी अत्यावश्यक सेवा मे हड़ताल निषिद्ध कर सकती है ।

(2) उपधारा (1) के अधीन दिया गया कोई आदेश ऐसी रीति से प्रकाशित किया जाएगा जिसे राज्य सरकार आदेश द्वारा प्रभावित व्यक्तियों को सूचना के लिए सर्वोत्तम समझे।

(3) उपधारा (1) के अधीन दिया गया कोई आदेश केवल छः माह के लिए प्रवृत्त रहेगा, किन्तु राज्य सरकार, यदि उसका यह समाधान हो जाय कि लोक हित मे ऐसा करना आवश्यक या इष्टकर है, उसे छः माह से अनधिक अवधि के लिए उसी प्रकार के आदेश द्वारा बढ़ा सकती है ।

(4) उपधारा (1) के अधीन किसी आदेश के प्रवृत्त रहने की अवधि में, किसी ऐसी अत्यावश्यक सेवा मे जिसके सम्बन्ध में आदेश हों, सेवायोजित व्यक्तियों द्वारा, चाहे आदेश के प्रवर्तन के पूर्व या पश्चात्, घोषित या प्रारम्भ की गई कोई भी हड़ताल अवैध होगी ।

अवैध हड़तालो के लिये शास्ति

4–कोई व्यक्ति जो ऐसी हड़ताल प्रारम्भ करता है जो इस अधिनियम के अधीन अवैध हो अथवा किसी ऐसी हड़ताल पर जाता है या रहता है अथवा अन्य प्रकार से उसमें भाग लेता है, उसे कारावास का दण्ड दिया जाएगा जो छः माह तक हो सकता है अथवा उसे अर्थ दण्ड दिया जाएगा जो पांच सौ रूपए तक हो सकता है अथवा दोनों दण्ड दिए जायेंगे ।

उकसाने आदि के लिये शास्ति

5–कोई व्यक्ति जो अन्य व्यक्तियों को किसी ऐसी हड़ताल में भाग लेने के लिए जो इस अधिनियम के अधीन अवैध हो अथवा होगी, उकसाता है, या भड़काता है अथवा उसे फैलाने के लिए अन्य प्रकार से कार्य करता है, उसे कारावास का दण्ड दिया जायगा जो एक वर्ष तक हो सकता है अथवा अर्थ दण्ड दिया जायेगा जो एक हजार रूपए तक हो सकता है अथवा दोनों दण्ड दिए जाएगें ।

---

1. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 24, 1983 की धारा 2 द्वारा बढ़ाया गया।

अवैध हड़तालो के वित्तीय सहायता देने के लिये शास्ति

6–कोई व्यक्ति जो किसी ऐसी हड़ताल को फैलाने में या उसका समर्थन करने में जो इस अधिनियम के अधीन अवैध हो या होगी, जानबूझ कर कोई धन व्यय करता है, उसे कारावास का दण्ड दिया जाएगा जो एक वर्ष तक हो सकता है अथवा अर्थ दण्ड दिया जाएगा जो एक हजार रूपए तक हो सकता है या दोनों दण्ड दिए जाएगें।

वारन्ट के बिना गिरफ्तार करने का अधिकार

7–कोई पुलिस अधिकारी किसी ऐसे व्यक्ति को, जिस पर यह संदेह करने का उचित कारण हो कि उसने इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय कोई अपराध किया है, वारन्ट के बिना गिरफ्तार कर सकता है ।

अधिनियम अन्य उत्तर प्रदेश अधिनियमों को अभिभूत करेगा

8–इस अधिनियम और तद्धीन जारी किए गए किसी आदेश के उपबन्ध तत्समय प्रवृत्त किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम में किसी असंगत बात के होते हुए प्रभावी होंगे।

निरसन तथा अपवाद उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 6, 1966

9–(1) उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अध्यादेश, 1966 एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है ।

(2) इस निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही, इस अधिनियम के अधीन किया गया कार्य या की गयी कार्यवाही समझी जायेगी, मानो यह अधिनियम 28 अगस्त, 1966 को प्रारम्भ हो गया है ।